

श्रेयस,

श्री साधु सिंह निवास,  
विशेष कार्यनिर्वाही,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

तत्त्व,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2, 8 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

तारीख दिनांक 04 जनवरी, 2000

विषय:- आनन्द स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर आर्य विहार, दक्षिण  
तिरुवनमल्लूर दिल्ली मार्ग, रुड़की। हरिद्वार। को सी०बी०एन०एन०ई०  
नई दिल्ली से अनामतित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

सहोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र कलने का निदेश हुआ है कि आनन्द स्वरूप  
आर्य सरस्वती विद्या मंदिर आर्य विहार, दक्षिण तिरुवनमल्लूर दिल्ली  
मार्ग रुड़की। हरिद्वार। को सी०बी०एन०एन०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनामतित  
प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन  
आमतित नहीं है:-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोलाघटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया  
जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक  
सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित  
जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उन्हे उत्तर प्रदेश माध्यमिक  
शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये विद्यालयों में विभिन्न स्थाओं के लिये  
निर्धारित गुरुक से अधिक गुरुक नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की प्राप्ति नहीं की जायेगी  
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केन्द्रीय  
शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धता केन्द्रीय  
माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रीय कार वि डेवेलपमेन्ट रूडन तर्ती क्लेड  
इत्यादिसे नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उत्तर  
केन्द्रीय परिषदों की सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश  
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार  
से प्राप्त अनुदान स्थल: समाप्त हो जायेंगे।
- 151 संस्था अधिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यवाहियों को राजकीय सहायता प्राप्त  
शिक्षण संस्थाओं के कार्यवाहियों को अनुसूचित केन्द्रों तथा अन्य शरतों  
से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तों नहीं दिये जायेंगे।

*(Signature)*

PRINCIPAL  
Anand Swaroop Arya  
Saraswati Vidya Mandir  
VIII.-Asafnagar, Delhi Road  
Roorkhee

MANAGER  
VIII.-Asafnagar, Delhi Road  
Roorkhee

- 16। कक्षाद्वारियों की सेवा गति बनायी जायेगी और उन्हें तथायता प्राप्त आगातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षाद्वारियों की अनुमत्य सेवा निम्नरित का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा तय्य तय्य पर वो भी आदेश निर्यात किये जायेगे तथा उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिजार्ड/निर्धारित पुस्तक/संयोजकों में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त पत्रों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय के अथ अन्य निर्धारित मानक के अनुसार हों ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी तय्य यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या गिराविलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा सुदरत अनापदित पुनराग्य पर वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। साहब सिंह निरंजन ।  
विशेष अधिकारी ।

पृष्ठं-5757111/15-7-99, तददिनांक

प्रतिालयि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुष्टि:-

- 1- गिधा निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त गिधा निदेशक, तडारनपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, हरिद्वार ।
- 4- निरीक्षक, प्रथम भारतीय विद्यालय, उज्जैन, कानपुर ।
- 5- पुस्तक, अनन्द स्वरोप अर्थ सरस्वती विद्या मन्दिर एवं विहार, दक्षिण तिथित मार्ग, दिल्ली मार्ग, रुड़की, हरिद्वार ।



*Acuf*

PRINCIPAL  
Anand Swaroop Arya  
Saraswati Vidya Mandir  
Vill.-Asafnagar, Delhi Road  
Roorkee

आगत से,

। साहब सिंह निरंजन ।  
विशेष अधिकारी ।